

झारखण्ड सरकार,  
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या-2/राज.स्था.-32/2010...../रा., दिनांक-

श्री अजय सिंह बडाईक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, प.सिंहभूम, चाईबासा के प्रभार से मुक्त करते हुए श्रीमती स्मृता कुमारी, झा.प्र.से., जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, प.सिंहभूम, चाईबासा को उनके कार्यों के अलावे अतिरिक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ("The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राम कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-2/राज.स्था.-32/2010...../रा., दिनांक-

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-2/राज.स्था.-32/2010...../रा., दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखंड, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-2/राज.स्था.-32/2010.1072(2)/रा., दिनांक- 01-03-17

प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा/उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा/निदेशक, भू-अर्जन-सह-भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा कोषागार/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव तथा संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव  
13.17